




सत्यमेव जयते

## INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

### e-Stamp

Certificate No.	: IN-DL11666311391090Q
Certificate Issued Date	: 09-Apr-2018 12:47 PM
Account Reference	: IMPACC (IV)/ dl756703/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-DL75670326972950283789Q
Purchased by	: DG CCRH
Description of Document	: Article 5 General Agreement
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: DG CCRH
Second Party	: BAKSON HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE
Stamp Duty Paid By	: DG CCRH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



Please write or type below this line.

**Memorandum of Understanding between**  
**Central Council for Research in Homoeopathy and**  
**Bakson Homoeopathic Medical College and Hospital**

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN HOMOEOPATHY AND  
BAKSON HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL,  
GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH  
FOR  
COLLABORATION IN TRAINING & RESEARCH PROJECTS**

1.0 THIS AGREEMENT made and entered into on 10<sup>th</sup> day of April 2018 between CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN HOMOEOPATHY, a society registered under the societies registration act, having its registered office at Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhawan, 61-65, Institutional Area, Opp. D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058 (hereafter called CCRH which expression shall where the context so admits include its successors and permitted assigns) on the one part.

AND

1.1 BAKSON HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, GREATER NOIDA (hereafter called BHMC & H, Noida) on the other part.

**2.0 Introduction**

CCRH, through its network of Institutes/Units across the country has been conducting various kinds of research on scientific lines in the field of Homoeopathy since 1978. BHMC & H, Noida has been providing education and clinical training to students of homoeopathy while providing good clinical care to the public at large.

CCRH, under its recent initiative of '*Linking Research with Education*' aims to give impetus to research infrastructure in homoeopathic colleges by inculcating research aptitude amongst students & faculties and provide training in research along with technical guidance for undertaking specific identified joint research projects.



Both the organizations share areas of common interest in the field of Homoeopathy. In some of these areas, the degree of mutual interest is so great that considerable advantage may be gained from their pursuit on a collaborative basis.

### **3.0 Purpose, Scope and General Policies**

Both the parties have agreed to the purpose, scope and general policies indicated below:

#### **3.1 Purpose**

To facilitate research infrastructure development in homoeopathic colleges by providing guidance & research training to PG students/ faculty of the homoeopathic college and further undertake specific collaborative research projects in Homoeopathy as feasible and mutually agreed upon.

#### **3.2 Scope**

The general area of interest of the collaboration will include but shall not be limited to clinical research of mutual interest to CCRH and BHMC & H, Noida

The agreement while promoting close collaboration between scientists and academicians associated with these two organizations, shall also focus on utilizing the clinical expertise of the faculty & tapping the clinical data of the patient pool attending the collaborative research OPD established in the college in research mode.

In view of the purpose of the collaboration, participation in the collaborative program need not be limited by organizational affiliation of individual scientists & academicians but will be determined by the individual's ability to contribute to the mutual objectives of the participating organizations. In this regard, the collaboration will provide a means for identification and definition of new research projects, a centre at which a continuing program may be conducted, and a means whereby visiting researchers may be supported.

Collaboration will be established within the principles set out in the following sections, which will be reviewed by both parties once a year.

### **4.0 Composition**

To ensure accountability and speedy implementation of the projects, there will be a *Planning and Monitoring Committee* comprising of:



From CCRH

- a) DG-CCRH or his nominee
- b) In charge/Nominated officer from nearest CCRH Institute/Any other person identified by the DG-CCRH

From BHMC & H, Noida

- a) Principal: Dr. C.P Sharma
- b) One Professor nominated by the Principal: Dr Ashwini Nair- Professor: Materia Medica , P.G. Incharge

The Planning and Monitoring Committee shall meet at least once a year preferably during program on World Homoeopathy Day or as and when required to plan fresh projects and take stock of ongoing projects under the MoU.

**5.0 Mutual and separate responsibilities of CCRH and BHMC & H, Noida**

Both the parties have agreed to the following terms regarding their mutual and separate responsibilities:

Separate Responsibilities:

**5.1 CCRH shall provide:**

- i. Guidance for establishment of research infrastructure and collaborative OPDs in the college
- ii. Training in research to PG students/faculties of homoeopathic colleges
- iii. Guidance and technical support in capturing clinical data in research mode and in a methodical manner
- iv. Identify, provide technical support to develop specific research protocols to take up specific collaborative research projects as feasible
- v. Supervision of research projects

**5.2 BHMC & H, Noida shall provide:**

*All logistic support for the joint research OPDs including:*

- i. Space devoted primarily to research OPD(s) free of cost
- ii. Basic equipment for the OPDs
- iii. Facilities and miscellaneous services to the research OPD(s) as available to BHMC & H, Noida faculty
- iv. Availability of homoeopathic medicines to patients attending research OPDs
- v. Supportive staff as per requirement at the research OPD(s)



5.3 Any other logistic requirement for the mutually identified/ agreed upon specific research project shall be delineated as per the need and provided as per the mutual decision & approval of the competent authority of the respective organizations.

Mutual Responsibilities:

5.4 It has been agreed to by the parties that the cost of secretarial and clerical personnel, technicians and other scientific support personnel will be borne by the employer of such personnel. However, where mutually advantageous, costs of support personnel may be borne by one organization, which may enter into an agreement with the other, subject to the regulations of each, for the supply of certain services, equipment and other recurring demands.

5.5 From BHMC & H, Noida post graduate students shall also be involved in the projects, who can submit their PG dissertation for the projects undertaken at the collaborative research OPDs, with the approval of competent authority at CCRH and Head of Department, BHMC & H, Noida. All financial assistance to students shall conform to the policy of the BHMC & H, Noida and would be borne by the BHMC & H, Noida. Academic certification /degree to the PG students will be awarded by Dr. B.R. Ambedkar University Agra.

5.6 Formal training will remain a responsibility of the CCRH and BHMC & H, Noida in the respective fields. Where appropriate, and subject to the approval of the authorities, both the organizations, may associate members of the faculty or research personnel of CCRH, granting them titles in accordance with the need of project and conduct seminars. The duties for those staff members of faculty or research personnel will be a definite part of their responsibilities.

5.7 The cost related to travel/ lodging of the personnel from either the organizations for the research projects/training shall be borne by the employer of the personnel.

**6.0 IPR issues**

6.1 The patent, if any, found as an outcome of research projects undertaken at the collaborative research OPDs will be applied by the CCRH, who shall make efforts to commercialize the product if applicable. All the team members of BHMC & H, Noida shall be included in the list of inventors in accordance with their contribution.



6.2 The investigator or staff employed for the research projects shall not obtain intellectual property rights without prior approval of the CCRH.

6.3 **Publication:** The parties have agreed to consult each other for any publication in respect of the any collaborative projects under this agreement. The contributors from CCRH and BHMC & H, Noida will be included as authors or their contribution will be duly acknowledged as per the ICMJE guidelines for authorship at the time of publication of manuscripts.

#### 7.0 **Force Majeure**

7.1 As agreed by both the parties, neither of them shall be held responsible for non-fulfillment of their respective obligations under this agreement due to exigency of one or more of the events such as but not limited to acts of god, war, flood, earthquake, epidemics, riots, civil commotion and things like that provided that the occurrence and cessation of any such events, the party affected thereby shall give a notice in writing within 01(one) month of such occurrence or cessation. If conditions continue beyond six months, the parties shall then mutually decide about the future course of action.

8.0 **Effective Date & Termination of the Agreement:** It has been mutually agreed that the following provisions will apply in this case:

8.1 The effective date of the MOU will be **10<sup>th</sup> April 2018** and shall remain in force for 03 years from the said date. The agreement shall terminate on the expiry of the period unless extended by both the parties.

8.2 **Termination during tenure of the Agreement:**

During the period of Agreement, parties hereto can terminate the agreement either for breach of any of the terms and conditions of this agreement or otherwise by giving 03 (three) month notice in writing to the defaulting party. Failure of either party to terminate the agreement on account of breach or default by the other shall not constitute a waiver of that party's right to terminate this agreement.

8.3 In the event of termination of the Agreement, the rights and obligation of the parties thereto shall be settled by mutual discussion; the financial settlement shall take into consideration not only the expenditure incurred but also the expenditure committed by the parties hereto.



9.0 **Resolution of Disputes:** The following have been agreed to in this regard by both the parties.

9.1 All differences will be settled through the Planning and Monitoring Committee in a spirit of good will and cooperation. However, in case of failure to reach a settlement, the dispute shall be resolved by way of arbitration under the provisions of Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. Place of Arbitration shall be New Delhi. The decision will be binding on both the parties.

10.0 **Jurisdiction:** The courts at New Delhi shall have the exclusive jurisdiction in case of any dispute between the parties.

11.0 **Notices**

All notices and other communications required to be served under the terms of this agreement shall be considered to be duly served if the same shall have been delivered to, left with or posted by registered mail to one party by the other party in their registered addresses.

In the witness whereof, parties hereto have signed this agreement on the day, month and year mentioned herein before.

For and behalf of Central Council for  
Research in Homoeopathy, New Delhi



Name : Dr. Raj Kumar Manchanda  
Designation: Director General

For and on behalf of Bakson Homoeopathic  
Medical College and Hospital, Greater  
Noida, Uttar Pradesh



Name: Dr. C.P. Sharma 10/04/2018  
Designation: Principal

डॉ. राजकुमार मनचन्दा/Dr. R. K. Manchanda  
मुख्य निदेशक/Director General  
केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्  
Central Council for Research in Homoeopathy  
(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of AYUSH, Govt. of India)  
61-65, शस्त्रामाज क्षेत्र, 'डी' ब्लॉक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली-110058  
61-65, Institutional Area Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058

SEAL OF PARTIES

**Principal**  
**Bakson Homoeopathic Medical College**  
Plot No. 36-B, K.P.-1, Greater Noida,  
G. B. Nagar - 201306 (U.P.)



प्रशिक्षण और अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग के लिए  
केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्  
और

बैक्सन होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा  
के बीच समझौता ज्ञापन

1.0 इस समझौते के तहत दिनांक 10 अप्रैल 2018 को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी जिसका पंजीकृत कार्यालय जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, 61-65, संस्थागत केंद्र, डी-ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058 (इसके पश्चात् सीसीआरएच कहा जाएगा) जिसमें अभिव्यक्त व संदर्भित होगा और यह माना जाए कि इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत सीमाएं शामिल हैं) एक पक्ष के रूप में है।

और

1.1 बैक्सन होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा (इसके पश्चात् बीएचएमसी एवं एच कहा जाएगा) दूसरे पक्ष के रूप में शामिल है।

**2.0 परिचय**

सीसीआरएच, देश भर में स्थित अपने संस्थानों/इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से वर्ष 1978 से होम्योपैथिक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में कार्यरत है। बीएचएमसी एवं एच बड़े पैमाने पर लोगों को अच्छी नैदानिक देखभाल प्रदान करते हुए होम्योपैथी के छात्रों को शिक्षा और नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

सीसीआरएच, **शिक्षा के साथ अनुसंधान को जोड़ने** की अपनी नवीन पहल के तहत छात्रों और शिक्षकों में अनुसंधान योग्यता को प्रोत्साहन द्वारा होम्योपैथिक महाविद्यालयों में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विशिष्ट पहचान वाली संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए तकनीकी मार्गदर्शन अनुसंधान में प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

दोनों संगठन की होम्योपैथी से संबंधित विभिन्न रोगों में अभिरुचि है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में, अभिरुचि अधिक होने के कारण, दोनों संगठनों को समझौतों के आधार पर पारस्परिक लाभ हो सकता है।



### 3.0 प्रयोजन, क्षेत्र और सामान्य नीतियां

दोनों पक्ष, नीचे दिए गए उद्देश्यों, क्षेत्रों और सामान्य नीतियों के लिए सहमत हुए हैं।

#### 3.1 उद्देश्य

होम्योपैथिक महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्रों/शिक्षकों को अनुसंधान हेतु निर्देशन प्रशिक्षण प्रदान करके होम्योपैथिक महाविद्यालयों में अनुसंधान संबंधित आवश्यकताओं के विकास हेतु वातावरण निर्माण करना और परस्पर सहमति द्वारा होम्योपैथी में सम्भाव्य विशिष्ट साझा अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करना।

#### 3.2 क्षेत्र

सीसीआरएच और बीएचएमसी एवं एच के पारस्परिक हित को नैदानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं किया जाएगा, सहयोग के हित में सामान्य क्षेत्र शामिल होगा।

दोनों संगठनों से जुड़े वैज्ञानिक और शिक्षाविदों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के दौरान, शैक्षणिक विशिष्टताओं का उपयोग करने और अनुसंधान प्रणाली में महाविद्यालय में स्थापित सहयोगी अनुसंधान बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में उपस्थित रोगी समूह के नैदानिक आंकड़ों के उपयोग पर भी केन्द्रित किया जाएगा।

अनुबंध के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सहयोगी कार्यक्रमों में भागीदारी व्यक्तिगत आधार पर वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की संगठनात्मक संबद्धता तक सीमित नहीं होगी, इसका निर्धारण भागीदार संगठनों के आपसी उद्देश्यों में योगदान करने की व्यक्तिगत क्षमता से निर्धारित होगा। इस संबंध में, सहयोग, नई अनुसंधान परियोजनाओं की रचना और उन्हें परिभाषित करने के लिए एक माध्यम, एक केंद्र जिस पर एक सतत अनुसंधान गतिविधियाँ जारी की जा सकती हैं।

सहयोग निम्नलिखित वर्गों में निर्धारित सिद्धांतों के भीतर स्थापित होगा, जिसकी समीक्षा वर्ष में एक बार दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी।

### 4.0 संरचना

अनुबंध के प्रति उत्तरदायित्व की सुनिश्चिता और परियोजनाओं का तीव्र कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रकार से योजना और निगरानी समिति गठित होगी।



सीसीआरएच से

- क) महानिदेशक-सीसीआरएच या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी  
ख) निकटतम सीसीआरएच संस्थान से प्रभारी/नामांकित अधिकारी/महानिदेशक सीसीआरएच द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति

बीएचएमसी एवं एच से

- क) प्रधानाचार्य  
ख) प्रधानाचार्य द्वारा नामांकित एक प्राध्यापक

योजना और निगरानी समिति वर्ष में कम से कम एक बार संभवतः विश्व होम्योपैथी दिवस के आस-पास या नई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ने और समझौता ज्ञापन के तहत चल रही परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु मिलनी चाहिए।

**5.0 सीसीआरएच और बीएचएमसी एवं एच की पारस्परिक और पृथक जिम्मेदारियां**

दोनों पक्ष अपनी पारस्परिक और अलग अलग दायित्वों के बारे में निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुए हैं:

पृथक जिम्मेदारियां :

**5.1 सीसीआरएच प्रदान करेगा :**

- महाविद्यालय में अनुसंधान संबंधित बुनियादी ढांचा और सहयोगी बाह्य रोगी विभागों की स्थापना के लिए मार्गदर्शन।
- होम्योपैथिक महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों/शिक्षकों के लिए अनुसंधान में प्रशिक्षण।
- अनुसंधान प्रणाली अनुसार और एक व्यवस्थित तरीके से नैदानिक आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत करने में मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता।
- सम्भाव्य विशिष्ट सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन हेतु विशिष्ट अनुसंधान प्रोटोकॉलों के विकास हेतु पहचान के लिए तकनीकी निर्देशत करना।
- अनुसंधान परियोजनाओं का पर्यवेक्षण।

**5.2 बीएचएमसी एवं एच प्रदान करेगा :**

*संयुक्त अनुसंधान के लिए बाह्य रोगी विभाग सहित सभी परिवहन सहायता :*

- मुख्य रूप से अनुसंधान बाह्य रोगी विभाग हेतु निःशुल्क स्थान।
- बाह्य रोगी विभाग हेतु मूल उपकरण।
- बीएचएमसी एवं एच फैकल्टी के लिए उपलब्ध अनुसंधान ओपीडी के लिए सुविधाएं और विविध सेवाएं।
- अनुसंधान ओपीडी में आने वाले रोगियों के लिए होम्योपैथिक औषधियों की उपलब्धता।
- अनुसंधान ओपीडी हेतु आवश्यकतानुसार सहायक स्टाफ प्रदान करना।



5.3 विशिष्ट अनुसंधान परियोजना हेतु पारस्परिक रूप से चयनित/सहमति युक्त किसी भी अन्य सामरिक व्यवस्थाओं को आवश्यकता अनुसार निरूपित और संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पारस्परिक निर्णय और अनुमोदन उपरांत प्रदान किया जाएगा।

पारस्परिक दायित्व :

5.4 दोनों पक्षों द्वारा यह सहमति हुई है कि सचिवीय और लिपिक कर्मियों, तकनीशियनों और अन्य वैज्ञानिक सहायता कर्मियों का खर्च नियुक्तकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि, जहां पारस्परिक रूप से लाभप्रद हो, सहायक कर्मियों की लागत एक संगठन द्वारा वहन की जा सकती है, जो कि कुछ सेवाओं, उपकरणों और अन्य आवर्ती मांगों की आपूर्ति के लिए, प्रत्येक के नियमों के अधीन दूसरे के साथ एक समझौते में प्रवेश कर सकते हैं।

5.5 बीएचएमसी एवं एच ये स्नातकोत्तर छात्रों को परियोजनाओं में शामिल किया जाएगा, जो सक्षम प्राधिकारी, सीसीआरएच और विभाग प्रमुख के अनुमोदन से संयुक्त अनुसंधान ओपीडी में की गई परियोजनाओं के लिए अपनी स्नातकोत्तर अनुसंधान निबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएचएमसी एवं एच छात्रों के लिए सभी वित्तीय सहायकता बीएचएमसी एवं एच की नीति के अनुरूप होगी और बीएचएमसी एवं एच द्वारा वहन की जाएगी। स्नातकोत्तर छात्रों को बीएचएमसी एवं एच द्वारा अकादमिक प्रमाणीकरण/डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

5.6 संबंधित क्षेत्रों में औपचारिक प्रशिक्षण सीसीआरएच और बीएचएमसी एवं एच की जिम्मेदारी रहेगी। जहां उपयुक्त हो, प्राधिकरणों के अनुमोदन के अधीन, दोनों संगठन, सीसीआरएच के संकाय सदस्यों या अनुसंधान कर्मियों को सहयोग हेतु नियुक्त कर सकते हैं। परियोजनाओं की आवश्यकता तथा सेमीनार संचालन के अनुसार उन्हें उपाधि प्रदान कर सकते हैं। संकाय या अनुसंधान कर्मियों के लिए कर्तव्यों, उनकी जिम्मेदारियों का एक निश्चित हिस्सा होगी।

5.7 अनुसंधान परियोजनाओं/प्रशिक्षणों के लिए कर्मियों की यात्रा/आवास से संबंधित लागत, नियुक्तकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

**6.0 पेटेंट संबंधित**

6.1 सहयोगी अनुसंधान ओपीडी के अंतर्गत की गई अनुसंधान परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप प्रस्तावित पेटेंट यदि कोई हो, सीसीआरएच द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा तथा यदि उपयुक्त हो तो उत्पाद का व्यावसायीकरण करने के लिए प्रयास करेगा। बीएचएमसी एवं एच के सभी दल सदस्यों को उनके योगदान के अनुसार अन्वेषकों की सूची में शामिल किया जाएगा।

6.2 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए नियोजित अन्वेषक या कर्मचारी को सीसीआरएच के पूर्व अनुमोदन के बिना बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त नहीं होगा।



6.3 **प्रकाशन** : पक्षों ने इस समझौते के तहत किसी भी सहयोगी परियोजना के संबंध में किसी भी प्रकाशन के लिए एक दूसरे से परामर्श करने पर सहमति व्यक्त की है। सीसीआरएच और बीएचएमसी एवं एच से योगदानकर्ताओं को लेखकों के रूप में शामिल किया जाएगा या उनके योगदान को मैन्युस्क्रिप्ट के प्रकाशन के समय लेखक के लिए आई.सी.एम.जे.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।

#### 7.0 **अप्रत्याशित घटना**

7.1 दोनों पक्षों द्वारा सहमति अनुसार, इस समझौते के तहत एक या अधिक घटनाओं जैसे दैवी घटना, युद्ध, बाढ़, भूकंप, महामारी, दंगे, नागरिक उपद्रव और इस प्रकार की अन्य घटनाओं के कारण संबंधित दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाने के लिए दोनों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रकार की घटना से प्रभावित पक्ष को घटना समाप्ति के 01 (एक) माह के भीतर लिखित नोटिस देनी होगी। यदि स्थिति छह महीने से आगे बढ़ती है तो दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।

8.0 **समझौते की प्रभावी तिथि और समाप्ति** : यह पारस्परिक रूप से सहमति हो गई है कि, निम्नालिखित प्रावधान इस मामले में लागू होंगे।

8.1 समझौता ज्ञापन की प्रभावी तिथि, **10 अप्रैल 2018** होगी और यह 03 वर्ष तक लागू रहेगा। समझौता, निश्चित अवधि पर समाप्त होगा, जब तक कि दोनों दलों द्वारा अग्र विस्तारित नहीं किया जाए।

8.2 समझौते के कार्यकाल के दौरान समाप्ति : समझौते की अवधि के दौरान, दोनों पक्ष समझौते के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी पक्ष को लिखित पूर्व सूचना 03 (तीन) महीने पहले देकर समझौते को समाप्त कर सकती है। समझौते को समाप्त करने के लिए किसी भी पक्ष की विफलता, उस समझौते को समाप्त करने के उस पक्ष के अधिकार में छूट प्राप्त नहीं कर सकती।

8.3 समझौते की समाप्ति की स्थिति में, पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को पारस्परिक चर्चा द्वारा तय किया जाएगा; वित्तीय निपटारे में न केवल खर्च के लिए गए व्ययों को भी ध्यान में रखा जाएगा बल्कि पक्षों द्वारा किए गए व्यय को यहां देखें।

9.0 **विवाद का समाधान** : दोनों पक्षों द्वारा इस संबंध में निम्न सहमति व्यक्त की गई है।

9.1 सभी मतभेदों को सौहार्द और सहयोग के आधार पर, योजना और समाधान निगरानी समिति के माध्यम से तय किया जाएगा। हालांकि, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहने के मामले में, विवाद



को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के रूप में हल किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थाई नई दिल्ली होगा। निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।


10.0 **न्याय सीमा** : पक्षों के बीच किसी भी विवाद के मामले में न्याय हेतु नई दिल्ली के न्यायालयों ही अधिकृत रहेंगे।

11.0 **सूचना**

इस समझौते की शर्तों के तहत सभी सूचनाओं और अन्य संचारों को विधिवत रूप से माना जाएगा, यदि किसी पक्ष द्वारा अपने पंजीकृत पते से दूसरे पक्ष को पंजीकृत डाक या पोस्ट द्वारा भेजी गई है।

इसके साक्ष्य में, पूर्व वर्णित तिथि को 02 (दो) अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी भाषा में, मूल प्रति में, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों प्रतियाँ समान रूप से प्रमाणिक हैं। व्याख्या में अंतर होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्,  
नई दिल्ली



नाम : डॉ. राजकुमार मनचन्दा  
पदनाम : महानिदेशक

डॉ. राजकुमार मनचन्दा/Dr. R. K. Manchanda  
महा निदेशक/Director General  
केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्  
Central Council for Research in Homoeopathy  
(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of AYUSH, Govt. of India)  
61-65, सराफागंज क्षेत्र, 'डी' ब्लॉक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली-110059  
61-65, Institutional Area Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110059

कृते बैक्सन होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय  
एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा



नाम : डॉ. सी. पी. शर्मा 10/04/2018  
पदनाम : प्राचार्य

पक्षों की मुहर

Principal  
Bakson Homoeopathic Medical College  
Plot No. 36-B, K.P.-1, Greater Noida,  
G. B. Nagar - 201306 (U.P.)